

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इस्माईलपुर-बिजनौर।
जन सूचना के अधिकार के अर्न्तगत 16 बिन्दुओं पर सूचना

बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
अपने संगठन की विशिष्टताँ, कृत्य और कर्त्तव्य	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इस्माईलपुर, बिजनौर द्वारा दो वर्षीय बी.टी.सी. तथा शैक्षिक गुणवत्ता से सम्बन्धी प्रशिक्षण समय-समय पर आयोजित किये जाते हैं तथा संस्थान में 7 विभाग है। 1-सेवापूर्व प्रशिक्षण विभाग। 2- सेवारत प्रशिक्षण विभाग। 3-कार्यानुभव विभाग। 4-जिला शिक्षा संसाधन ईकाई। 5-पाठयक्रम एवं मूल्यांकन। 6-शैक्षिक तकनीकी विभाग। 7-नियोजन एवं निबन्धन विभाग।
अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य	कर्मचारी एवं अधिकारी, राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली, प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	संस्थान में निम्न पद सृजित है- प्राचार्य (1) उपप्राचार्य (1) वरिष्ठ प्रवक्ता (6) प्रवक्ता (17) सँख्यकीकार (1) कार्यानुभव शिक्षक (1) तकनीकी सहायक (1) कार्यालय अधीक्षक (1) पुस्तकालयाध्यक्ष (1) लेखाकार (1) आशुलिपिक (1) प्रयोगशाला सहायक (2) लिपिक (9) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (5)
अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं और निर्धारित मापमान	प्राचार्य, उपप्राचार्य एवं वरिष्ठ प्रवक्ताओं के नियंत्रण में संस्थान के सातों विभाग विभागीय निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करते हैं।
अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	विभागावार समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी विभागीय निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करते हैं।

<p>ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियन्त्रण में हैं।</p>	<p>शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते हैं। नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।</p>
<p>किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उस की नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।</p>	<p>शासनादेश/विभागीय निर्देशों के अनुसार गठित समितियों के अनुसार कार्यों का सम्पादन किया जाता है।</p>
<p>बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डों परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगो के लिये खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगो के लिये सुलभ है।</p>	<p>जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के समस्त कार्य शासनादेश/विभागीय आदेशों के अनुरूप सम्पादित किये जाते हैं।</p>
<p>अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका</p>	<p>इस संस्थान के कर्मचारी राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते हैं।</p>
<p>अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपवन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो</p>	<p>प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित वेतनमान में कार्यरत है। तथा वेतन कोषागार बिजनौर द्वारा आहरित किया जाता है।</p>

<p>सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।</p>	<p>जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को बजट निदेशक,राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ०प्र० लखनऊ तथा राज्य परियोजना कार्यालय उ०प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद उ०प्र० लखनऊ सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपलब्ध कराया जाता है जिसका समुचित उपभोग नियमानुसार करके सम्बन्धित अधिकारियों को व्यय विवरण भेजा जाता है।</p>
<p>सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के व्योरे सम्बन्धित है।</p>	<p>सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत बजट राज्य परियोजना कार्यालय उ०प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद उ०प्र० लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जिसका नियमानुसार व्यय कर विवरण राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है।</p>
<p>अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कताओं की विशिष्टियाँ</p>	<p>विभागीय निर्देशानुसार सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत सेवारत शिक्षकों को ब्लाक समन्वयक/न्याय पंचायत समन्वयकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।</p>
<p>किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।</p>	<p>संस्थान द्वारा समस्त सूचनायें उच्चाधिकारियों को संकलित कर भेजी जाती है तथा निर्देशानुसार विज्ञापित के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाता है।</p>
<p>सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयों के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।</p>	<p>ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।</p>
<p>जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ</p>	<p>जन सूचना अधिकारी : श्रीमति सुषमा अग्रवाल, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इस्माईलपुर, बिजनौर एवं सहायक जन सूचना अधिकारी श्री दिनेश चौहान, वरिष्ठ प्रवक्ता श्री अम्बरीष कुमार, प्रवक्ता(सेवारत विभाग) श्री निजामुद्दीन, साँख्यकीकार(सेवापूर्व विभाग) विभागवार।</p>

प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
इस्माईलपुर—बिजनौर।

